


20.3.25 वकील जर्घी उपस्थित। वकील जर्घी दावा जिही  
अनुका राजस्व रिपोर्ट में अंकन होना बताया।  
जर्घीना- पत्र में कोई सापेक्षाही शेष नहीं होने  
पर जर्घीना- पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली  
नंबर से क्रम होकर दायित्व इफ्तदा हो।

आदेश लेने इजलास हुक्मना जमा।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GCM S  
2023/362

